फर्द अहकाम

न्यायालय

मुकदमा संख्या/वर्ष — बनाम — /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/3/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब ... पैनलमें ... अनुसार दिनांक 17/3/25 को पेश हों।
	17/3/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य ... में व्यस्त है। अतः पत्रावली ... अनुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो।
	8/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर काम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reader
[signature] 22/06/18

समक्ष माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय)
सांगानेर, जिला जयपुर

प्रार्थना–पत्र संख्या :–......................./2018

1. ओमप्रकाश पुत्र स्वं. श्री पुरूषोतम गुर्जर उम्र–30वर्ष, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम–भापुरा तहसील–सांगानेर जिला–-जयपुर राजस्थान।

....................प्रार्थी/वादी

बनाम

1. रामनारायण गुर्जर उम्र–48वर्ष
2. रामस्वरूप गुर्जर उम्र–42वर्ष , पुत्रान् स्वं. श्री गोपीराम गुर्जर जाति– गुर्जर , निवासी–ग्राम–भापुरा तहसील–सांगानेर जिला–-जयपुर राजस्थान।
3. प्रेम देवी पत्नी स्वं. श्री पुरूषोतम गुर्जर उम्र–52वर्ष
4. राकेश उर्फ राजेश पुत्र स्वं. श्री पुरूषोतम गुर्जर उम्र–28वर्ष निवासीयान–ग्राम–भापुरा तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर राजस्थान।
5. तहसीलदार तहसील कार्यालय सांगानेर जिला–जयपुर राजस्थान।

..................अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 39 (1) व (2) सी.पी.सी.

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह की प्रार्थी के द्वारा उक्त उनवानी वाद पत्र आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूरी–पूरी आशा है।
2. यह कि प्रार्थी/वादी उपरोक्त पते का निवासी है अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जो कि प्रार्थी/वादी के सगे चाचा है तथा अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 4 प्रार्थी/वादी की माता व सगा भाई है और उक्त पक्षकारगण की

ओमप्रकाश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र संख्या: 95/2018
निर्णय दिनांक : 08.04.2025

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री पुरूषोत्तम गुर्जर उम्र 30 वर्ष, जाति गुर्जर निवासी ग्राम भापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण गुर्जर उम्र 48 वर्ष
2. रामस्वरूप गुर्जर उम 42 वर्ष पुत्रान स्व0 श्री गोपीराम गुर्जर जाति गुर्जर, निवासी भापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. प्रेम देवी पत्नी स्व0 श्री पुरूषोत्तम गुर्जर उम्र 52 वर्ष
4. राकेश उर्फ राजेश पुत्र स्व0 श्री पुरूषोत्तम गुर्जर उम्र 28 वर्ष निवासीयान ग्राम भापुरा तहसील सागानेर जिलय जयपुर राजस्थान जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 39 (1) व (2) जाप्ता दीवानी पेश किया संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 1. यह की प्रार्थी के द्वारा उक्त उनवानी वाद पत्र आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूरी–पूरी आशा है। प्रार्थी/वादी उपरोक्त पते का निवासी है अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जो कि प्रार्थी/वादी के सगे चाचा है तथा अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 4 प्रार्थी / वादी की माता व सगा भाई है और उक्त पक्षकारगण की सामलाती आराजियात कृषि भूमि ग्राम भापुरा भू–अभिलेख क्षेत्र कलवाडा, पटवार हल्का–भापुरा, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की सामलाती आराजियात कृषि भूमि वाके ग्राम भापुरा पटवार हल्का–भापुरा, भू–अभिलेख क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसके खाता संख्या 192 खसरा नम्बर 780 रकबा 0.5600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 886 रकबा 0.6500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 892 रकबा 0.0600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 893 रकबा 0.4000 हैक्टेयर खरारा नम्बर 894 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 0.0500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 896 रकबा 0.4600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 915 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 927 रकबा 0.5600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 931 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 रकबा 0.6400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 939 रकबा 1.1800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 940/1165 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.1100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 988 रकबा 0.2800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 989 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 990 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 997 रकबा 1,3600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1001 रकबा 2.5800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1002 रकबा 2.2700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.7400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.6600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.5100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.4200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1017 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

0.4000 हैक्टेयर कुल किता 27 कुल रकबा 18.1000 हैक्टेयर स्थित है उपरोक्त खातेदारी भूमी को उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी/वादी एंव अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा एव अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और प्रार्थी/वादी एव अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण की उक्त आराजियात कृषि भूमि सामलाती भूमि है एवं प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण दोनों रिकॉर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी/वादी एव अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण दोनो उक्त आराजियात कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग-उपभोग करते आ रहे है और उक्त आराजियात कृषि भूमि पर प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 पर अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है तथा काबिज काश्त होकर के प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बिना किसी वाद-विवाद के अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त आराजियात कृषि भूमि को प्रस्तुत वाद-पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 अपने-अपने हिस्से के अनुसार मौके पर मनवट के आधार पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य उक्त भूमि का आज तक विधिवत रूप से मिटस् एण्ड बाउन्डस के अनुसार बटवारा नही हुआ है। प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने अपने हिस्से पर आज भी कृषि काश्त कर उक्त अविभाजित खातेदारी भूमि पर अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग एवं काबिज काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का उपरोक्त विवादित खातेदारी भूमि पर शामलाती रूप से उक्त खातेदारी भूमि के हर हिस्से एवं इंच पर कब्जा शामलाती चला आ रहा है। प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी /प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात कृषि भूमि जो कि मात्र एक कृषि भूमि हैं और कृषि भूमि के रूप में ही इसे उपयोग-उपभोग किया जा रहा है तथा प्रार्थी/वादी उक्त कृषि भूमि की उपज से ही अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करता आ रहा है तथा आज तक उक्त आराजियात कृषि भूमि को प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा आवासीय या व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कोई गतिविधी नहीं कि गई है तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने आपस में मिलीभगत कर रखी है तथा आपसी मिलीभगत करके प्रार्थी/वादी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त आराजियात कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी/वादी को धमकी दी कि उक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि में प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त भूमी मे जबरन रोड़ निकालकर अपने हिस्से की भूमी पर बिना भूमी की किस्म परिवर्तन किये आवासीय कॉलोनी विकसित करेंगे तथा प्लाटिंग करके उक्त भूमि का बैचान भी अन्य दीगर व्यक्ति के हित में करेंगे और उक्त आराजियात कृषि भूमी को अकृषि कार्यो के प्रयोजनार्थ काम में लेंगे और बैचान करेंगे जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है तथा प्रार्थी/वादी के मना करने पर भी नही मान रहे है ओर नाजायज तरीके से प्रार्थी/वादी की अविभाजित आराजीयात कृषि भूमि पर कब्जा करने व उक्त कृषि भूमि की अवैधानिक रूप से किश्म परिवर्तन करने पर तुले हुए है तथा प्रार्थी/वादी के हितों के साथ भारी कुठाराघात करने की मंशा से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आपस में मंत्रना करके उक्त भूमि में अवैधानिक गतिविधि करने पर तुले हुये है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या लगायत 4 दिनांक 19.06.2018 को सुबह 8-10 कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर मौके पर आये और प्रार्थी/वादी की शामलाती भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा करने तथा उक्त शामलाती भूमि का बिना विधिवत तकारमा करवाये व बिना किश्म परिवर्तन करवाये उक्त आराजीयात कृषि भूमि पर नाजायज कार्यवाही करने पर आमदा हुये तो प्रार्थी/वादी के द्वारा शांतीपूर्वक तरीके से उन्हें यह कहते हुये समझाया कि उक्त आराजीयात भूमि सामलाती भूमि है और सामलाती भूमि में बिना विधिवत् तकास्मा करवाये आप लोग मेरी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते तथा आप लोगों के द्वारा उक्त कृषि भूमि का भूमि

रूपान्तरण भी नही करवाया है तो आप इसमें कैसे रोड़ आदि बिछाकर के आवासीय व व्यवसायिक गतिविधि कर सकते हो तो अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा यही कहा गया कि हमें जो करना है वही करेंगे तथा यह भी कहा कि हमें तो उक्त भूमि को बहुत बड़े कॉलोनाईजर्स को बेच दी है और उससे हमारा जो वादा हुआ है उसके अनुसार हमें उन्हें मौके पर कब्जा सम्भलाने व रोड़ आदि बनाकर देना है जिसका प्रार्थी /वादी के द्वारा भारी विरोध किया गया और भारी विरोध करने के उपरान्त अप्रार्थी / प्रतिवादीगण तथा उनके साथ आये 8–10 अपरिचित व्यक्ति वापस चले गये और यह धमकी देकर गये कि एक दो रोज में हम कब्जा भी करेंगे और हमारे उद्देश्यो की पूर्ति भी करके रहेगे। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि विवादित कृषि के उक्त आराजियात खसरा नम्बरान की भूमि को अप्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 3 व 4 से साँठगाँठ कर राजस्व रिकॉर्ड में निर्धारित हिस्से से अधिक भूमि को अपने कब्जे में करने की नियत से बिना उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये प्रार्थी /वादी के हिस्से की भूमि को नाजायज रूप से हडपने की गरज से पक्का निर्माण कार्य चालू कर प्रार्थी/वादी को अपने हिस्से से महरूम करने पर आमदा है। दिनांक 19.06.2018 को अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 व 4 के द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी/वादी एवं प्रार्थी/वादी के परिवार को उक्त विवादित अविभाजित कृषि भूमि एवं कब्जे की भूमि से बेदखल करने के लिए अन्य 8–10 असामजिक तत्वो को पुनः मौके पर लेकर आये ओर विवादित कृषि भूमि से प्रार्थी/वादी को बेदखल करने का प्रयास किया और अप्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उक्त शामलाती भूमि का विना विधिवत तकास्मा कराये प्रार्थी/वादी की कब्जेकाश्त की भूमी में रोड़ बनाने के उद्देश्य से अन्य लोगो की सहायता से टेक्टर से रोड़ बनाने के लिये लेवलिंग का कार्य शुरू कर दिया व मौके पर नाप–जोख करने लगे इस पर प्रार्थी/वादी के द्वारा एतराज किया गया तो उन्होने प्रार्थी/वादी को ऐलालिया धमकी दी कि वे प्रार्थी/वादी की कब्जेकाश्त की भूमी में से रोड़ बनाकर कॉलोनी विकसित कर अकृषि कार्य के प्रयोजनार्थ काम में लेगें तथा उसका बैचान करेंगे जिस पर प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के बीच में काफी कहा सूनी भी हो गई और कहासुनी होने पर उस वक्त आस–पास के लोगों की भीड भी इक्कटी हो गई, मौके की नजाकत को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 1.2 व 4 अपने साथ आये लोगो को वापस लेकर चले गये लेकिन उनकी ऐलानिया धमकी से प्रार्थी/वादी को अंदेशा है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी/वादी के काबिज काश्त की कृषि भूमी से बिना विधिवत तकारमा किये जबरन धनबल व गुजबल के आधार पर रोड़ निकालकर बिना भूमी की किस्म परिवर्तन करवाये आवासीय कॉलोनी विकसित कर बैचान करेंगे। वर्तमान में जमीनों के भाव आसमान छू रहे है इस कारण अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की नियत में फितुर आ चुका है तथा अपने नापाक ईरादो में कामयाबी हासिल करने के उद्देश्य से अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अन्य असामाजिक तत्वो की सहायता से प्रार्थी/वादी की कृषि भूमि को किसी भी कीमत पर बिना किसी अधिकार के कानून को हाथ में लेकर उक्त शामलाती सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने एवं हस्तातरण करने एवं प्रार्थी /वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से (उपरोक्त विवादित आराजी भूमि से) बेदखल कर वंचित करने पर तुले हुए है एवं वादी को अपने कब्जेशुदा भूमि एवं शामलाती भूमि के उपयोग–उपभोग करने में बाधा कारित करने पर तुले हुए है। प्रार्थी/वादी के हिस्से की उपरोक्त शामलाती आराजी भूमि पर कब्जा काश्त एवं उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करने एवं बेदखल कर तथा रोड़ निकालकर आवासिय कॉलोनी विकसित कर बैचान कर दिये जाने पर वादी अपनी शामलाती कृषि भूमि एवं कब्जे शुदा भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा जबकि अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है और यदि अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो वादी को ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी

प्रकार से संभव नही होगी। जबकि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 उपरोक्त विवादित कृषि भूमि का विधिवत् तकास्मा करवाकर अलग–अलग हिस्सा दर्ज कराये बिना उक्त सम्पत्ति का हस्तातरण, बैचान, रहन करने एवं सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने रोड़ निकालकर आवासिय कॉलोनी विकसित करने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नही है एवं ना ही किसी अन्य सह–खातेदार को उसके कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि से वंचित करने का ही अधिकार है। किन्तु अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने नापांक इरादों से बाज नही आ रहे है ओर येन–केन–प्रकारेण कानून को हाथ में लेकर प्रार्थी/वादी को उपरोक्त विवादित शामलाती कृषि भूमि के अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है तथा कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग से वंचित कर दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर आमादा है तथा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की उक्त बेजा कार्यवाही के बारे में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को प्रार्थी /वादी के द्वारा बताया गया तो अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा भी प्रार्थी/वादी को कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया और कहा कि हम इस मामले में नही पड़ते है आप लोगों के जैसे जमें वैसे करो और अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की उक्त बातों को सुनकर के प्रार्थी/वादी को प्रतीत हुआ कि अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 भी शेष प्रतिवादियों के प्रभाव में है। इस प्रकार प्रार्थी/वादी उक्त विवादित अविभाजित आराजीयात कृषि भूमि के लिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से भी पांबद करवाने का अधिकारी है कि जब तक वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बिना विधिवत् तकास्मा नही हो जाता तब तक प्रार्थी/वादी की अविभाजित विवादित भूमि का हस्तांतरण, रहन, वैचान आदि ना करे और ना ही वादी की उक्त अविभाजित सम्पत्ति में रोड़ निकालकर आवासीय कॉलोनी विकसित करे एवं प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करे तथा ना ही वादी को उसकी शामलाती खातेदारी भूमि से बेदखल करने का प्रयास करें। प्रार्थी/वादी को शामलाती अविभाजित सम्पत्ति के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग से बाधा कारित न करे ओर ना स्वयं करें, ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि से करावे एवं उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 को उक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने व उक्त आराजी के किसी भी प्रकार का हस्तानान्तरण विलेख, मुख्तयारनामा आदि तस्दीक न करने हेतु प्रार्थी/वादी, अप्रार्थी/प्रवितादी संख्या 5 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के हिस्से की उपरोक्त शामलाती आराजी भूमि पर कब्जा काश्त एवं उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करने एवं बेदखल कर तथा रोड़ निकालकर आवासिय कॉलोनी विकसित कर बैचान कर दिये जाने पर प्रार्थी अपनी शामलाती कृषि भूमि एवं कब्जे शुदा भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित हो जायेगा जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है और यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। जबकि अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 4 उपरोक्त विवादित कृषि भूमि का विधिवत् तकास्मा करवाकर अलग–अलग हिस्सा दर्ज कराये बिना उक्त सम्पत्ति का हस्तातंरण, वैचान, रहन करने एवं सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने रोड़ निकालकर आवासिय कॉलोनी विकसित करने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है एवं ना ही किसी अन्य सह–खातेदार को उसके कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि से वंचित करने का ही अधिकार है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपने नापांक इरादों से बाज नहीं आ रहे है ओर येन–केन–प्रकारेण कानून को हाथ में लेकर प्रार्थी को उपरोक्त विवादित शामलाती कृषि भूमि के अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है तथा कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग से वंचित कर दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर आमादा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की उक्त बेजा कार्यवाही के बारे में अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी

संख्या 3 व 4 को प्रार्थी के द्वारा बताया गया तो अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के द्वारा भी प्रार्थी को कोई संतुष्ठिप्रद जवाब नहीं दिया और कहा कि हम इस मामले में नहीं पडते है आप लोगों के जैसे जमें वैसे करो और अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की उक्त बातों को सुनकर के प्रार्थी को प्रतीत हुआ कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 भी शेष अप्रार्थी/प्रतिवादी के प्रभाव में है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त विवादित अविभाजित आराजीयात कृषि भूमि के लिए अप्रार्थी संख्या लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से भी पांवद करवाने का अधिकारी है कि जब तक वादपत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बिना विधिवत् तकास्मा नही हो जाता तब तक प्रार्थी की अविभाजित विवादित भूमि का हस्तांतरण, बिहन, बैचान आदि ना करे और ना ही प्रार्थी की उक्त अविभाजित सम्पत्ति में रोड निकालकर आवासीय कॉलोनी विकसित करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करे तथा ना ही प्रार्थी को उसकी शामलाती खातेदारी भूमि से बेदखल करने का प्रयास करें। प्रार्थी को शामलाती अविभाजित सम्पत्ति के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग से बाधा कारित न करे ओर ना स्वयं करें, ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि से करावे एवं उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 5 को उक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने व उक्त आराजी के किसी भी प्रकार का हस्तानान्तरण विलेख, मुख्तयारनामा आदि तस्दीक न करने हेतु प्रार्थी प्रविवादीगण संख्या 5 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है और यदि प्रतिवादीगण को पावन्द नहीं किया गया तो वादी के हितो के साथ मारी कुठाराघात होगा तथा बादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी हद तक न होने की सम्भावना होगी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है और सुविधा का सन्तुलन भी पूर्णत प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए अप्रार्थीगण को पावंन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित कब्जेशुदा अविभाजित शामलाती भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड हिस्सेनुसार विधिवत् तकास्मा करवाये बिना प्रार्थी को उक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि से किसी भी प्रकार से बेदखल ना करें, ना ही कब्जेकाश्त में बाधा कारित करे तथा प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण नही करे और ना ही बिना तकास्मा हुए रोड बनाकर आवासीय कॉलोनी विकसित करे तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमी में प्रार्थी को विधिक विभाजन से प्राप्त भूमी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे बाधा कारित ना ही स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सरवेन्ट, प्रतिनिधि के माध्यम से करवाये तथा अप्रार्थी संख्या 5 को भी इस आशय के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द फरमाये कि वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तानान्तरण पत्र व बैचान पत्र आदि तस्दीक नही करें। तथा रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर डॉक सूचना उपस्थित नही। प्रतिवादी 1 लगायत 4 के विरूद्ध 08.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये।

बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए अप्रार्थीगण को पाबंन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित कब्जेशुदा अविभाजित शामलाती भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड हिस्सेनुसार विधिवत् तकास्मा करवाये बिना प्रार्थी को उक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि से किसी भी प्रकार से बेदखल ना करें, ना को कब्जेकाश्त में बाधा कारित करें तथा प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण नही करे और ना ही

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिला (ग्रामीण)

तकासमा हुए रोड बनाकर आवासीय कॉलोनी विकसित करें तथा उपरोक्त वर्णित कृषि
प्रार्थी को विधिक विभाजन से प्राप्त भूमी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा कारित
स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सरवेन्ट, प्रतिनिधि के माध्यम से करवाये तथा अप्रार्थी
5 को भी इस आशय के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द फरमाये कि वादग्रस्त
लगायत कृषि भूमी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तानान्तरण पत्र व बैचान पत्र आदि
क नही करें। तथा रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन
गया। अवलोकन करने पर पाया कि इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय
मक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:— **(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन
अपूरणीय क्षति**

(1) प्रथम दृष्टया मामला:— वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4
र्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की अविभाजित
त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी
राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत
संयुक्त खातेदारी दर्ज है, अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन द्वारा कोई खण्डन नही
गया कि जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार माना है और उक्त वादग्रस्त
जी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार
है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त
से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया
ला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता

(2) सुविधा का संतुलन एवं (3) अपूरणीय क्षति:—उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की
से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी
तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है,
विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू—भाग
निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू—भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों
बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी
अप्रार्थीगण को होगी।

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय
ये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना
चेत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर
नांक 22.06.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को
बन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति
नाये रखे, ना ही किसी प्रकार कच्चा—पक्का निर्माण कार्य करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से
कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर—द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर